रमाकान्त बनाम सरकार
प्रकरण संख्या 144 / 2023
निर्णय दिनांक : 29.09.2023

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 144 / 2023

श्री रमाकान्त पिता तुलसीराम, उम्र वयस्क निवासी ढोरिया तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

................प्रतिवादी

उपस्थित
वादीगण अधिवक्ता :– वादी स्वयं

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 29.09.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी के पिता श्री तुलसीराम के नाम ग्राम ढोरिया में आराजी नम्बर 55 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 56 रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड थी। श्री तुलसीराम की मृत्यु उपरांत ग्राम ढोरिया के नामान्तरण संख्या 164 द्वारा विरासत की कार्यवाही संपादित की गई जिसमें वादी का नाम रोशन पिता तुलसीराम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम रमाकान्त होकर वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में भी वादी का नाम रमाकान्त ही दर्ज है। वाद के अन्त में वादी ने वादग्रस्त आराजियात में वादी का नाम रोशन पिता तुलसीराम के बजाय रमाकान्त पिता तुलसीराम दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी स्वयं की [illegible] ग्राम ढोरिया की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 242 में दर्ज आराजी नम्बर 55 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 56 रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम रोशन पिता तुलसीराम 1 / 5 ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा उसके दस्तावेजात की स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसमें आधार कार्ड संख्या 593401186292, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या एस.टी.क्यू. / 0323576, आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड संख्या बी.टी.सी.पी.आर.0564सी., आदि में वादी का नाम रमाकान्त पिता तुलसीराम दर्ज है। वादी द्वारा दिनांक 15.02.2023 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं उसमें भी वादी ने अपना वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

रमाकान्त पिता तुलसीराम होना अंकित किया है। ग्राम पंचायत, ढोरिया के सरपंच द्वारा दिनांक 12.04.2023 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं जिसमें अंकित किया गया हैं कि " प्रमाणित किया जाता हैं कि रमाकान्त पिता तुलसीराम एवं रामलाल पिता तुलसीराम ब्राह्मण दोनों एक व्यवित है। ये ग्राम ढोरिया के निवासी हैं इनको दोनों नामों से जाना जाता है।

3. तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपने पत्रांक : राजस्व/2023/1091 दिनांक 24.07.2023 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया हैं कि ग्राम ढोरिया की जमाबंदी संवत 2077—2080 की खाता संख्या 242 की आराजी नम्बर 55 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 56 रकबा 2.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम रोशन पिता तुलसीराम 1/5 ब्राह्मण दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर आईडी, एवं सरपंच ग्राम पंचायत ढोरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं उपस्थित मौतबिरानों ने बताये अनुसार रमाकान्त पिता तुलसीराम व रोशन पिता तुलसीराम ब्राह्मण एक ही व्यक्ति है। वादी श्री रमाकान्त का नाम राजस्व रिकार्ड में रोशन पिता तुलसीराम के बजाय रमाकान्त पिता तुलसीराम दर्ज किया जाए तो किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त नाम शुद्धि किया जाना उचित है।

4. मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी स्वयं की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वादी के स्वयं के शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र और तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्य साबित होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>घोषणा है कि</u>

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है ग्राम ढोरिया, पटवार मण्डल, ढोरिया की जमाबंदी संवत 2077—2080 की खाता संख्या 242 में दर्ज आराजी नम्बर 55 रकबा 0.01 एवं आराजी नम्बर 56 रकबा 2.52 हैक्टेयर वादी का नाम रोशन पिता तुलसीराम 1/5 ब्राह्मण के बजाय रमाकान्त पिता तुलसीराम 1/5 ब्राह्मण घोषित किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:19:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा—जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते

29/9/23
(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा